



पत्रांक - 963 / 02 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 20 / 10 / 2022

"कार्यालय ज्ञाप"

लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 71587/111(1)/2022-29057/TRA/7/2022 दिनांक 19.10.2022 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में श्री नवनीत सिंह पोखरियाल, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी को प्रशासनिक आधार पर उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय से तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट में तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हो

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित शासकीय पत्र दिनांक 19.10.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/पौड़ी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय/छठा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़/उत्तरकाशी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,।
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट/उत्तरकाशी।
6. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
20/10/22